6/8/2018

प्रार्थी श्री प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता द्वारा प्रा० प्र० अं० धारा 152 व 151 CPC पेश कर निवेदन किया कि अपीली वाद 23/14 के निर्णय के डिक्री दि० 28-5-2018 में ख० नं० 830 रकबा 1.2150 हे० के बजाय रकबा 1.450 हे० डिक्री में भूल से गलत लिखा जाने बाबत प्रा० प्र० पेश किया गया। वादी अभिभाषक के प्रा० प्र० को सही पाया जाकर बहस के बाद अपीलार्थी डिक्री दिनांक 28-5-2018 में ख० नं० 830 रकबा 1.4150 हे० के बजाय रकबा 1.2150 हे० किये जाने के आदेश दिये जाते है। व यह आदेश डिक्री दि० 28-5-2018 का हिस्सा माना जावे। अपीली वाद खारिज दाखिल दफ्तर हो।

6/8/18

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner